



## समाज में समानता और न्याय: सामाजिक प्रगति के मुख्य स्तंभ

डॉ० सोनिया डबास

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

### ARTICLE DETAILS

Research Paper

#### Keywords:

समावेशी समाज, सामाजिक न्याय, समानता, राजनीतिक भागीदारी, मानवाधिकार

### ABSTRACT

समावेशी समाज का निर्माण केवल एक कानूनी या राजनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसका उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्रदान करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर उपेक्षित न हो। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां असमानताएँ गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, समावेशिता की अवधारणा को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। समावेशी समाज से न केवल सामाजिक स्थिरता बढ़ती है, बल्कि यह आर्थिक और राजनीतिक समृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है। जब हर वर्ग को समान अवसर प्राप्त होते हैं, तो यह समाज के समग्र विकास और शांति का कारण बनता है। समावेशिता लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को सशक्त बनाती है, और इससे समाज में सामूहिक सहयोग, विश्वास और समरसता का माहौल उत्पन्न होता है। समावेशी समाज का निर्माण एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे सरकार, समाज और नागरिकों को मिलकर निभाना होगा, ताकि समाज में समानता, न्याय और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा सके।

### परिचय:

समाज की स्थिरता और समृद्धि केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उस समाज में मौजूद समान अवसर, न्याय और समावेशिता पर भी निर्भर करती है। न्याय और समानता का सिद्धांत किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक आधार हैं। विशेष रूप से विविधताओं से भरपूर देशों में, जैसे भारत, इन सिद्धांतों

का पालन समाज के हर वर्ग तक समान अवसरों की पहुँच सुनिश्चित करता है। भारत में विभिन्न जातियाँ, धर्म, संस्कृति और भाषाएँ होने के कारण, न्याय और समानता की अवधारणाओं को साकार करना सिर्फ एक नैतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि समाज में शांति, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भी अनिवार्य है।

न्याय का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता, क्षमता और स्थिति के अनुसार अवसर और संसाधन प्रदान करना, जबकि समानता का अर्थ है सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलना। जब इन दोनों सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता, तो समाज में असंतोष, भेदभाव और असमानता बढ़ने लगती है, जो सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर देती है। इस लेख में हम इन सिद्धांतों के बीच अंतर को समझने के साथ-साथ यह भी जानेंगे कि समावेशी समाज की स्थापना क्यों आज के समय में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, और यह समाज में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को कैसे सशक्त बना सकती है।

**न्याय का सिद्धांत-** न्याय का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को उसकी स्थिति, आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप उचित अवसर और संसाधन प्रदान किए जाएं। यह मान्यता है कि समाज में हर व्यक्ति की अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष प्रकार की सहायता और अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक विकलांगता है, तो उसे विशेष सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि वह समाज में समान रूप से भाग ले सके। इसी प्रकार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अतिरिक्त समर्थन और संसाधनों की आवश्यकता होती है, ताकि वे भी समाज में समान अवसरों का लाभ उठा सकें।

स्पष्ट शब्दों में कहें तो, न्याय का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को उसकी विशिष्ट स्थिति और जरूरतों के आधार पर संसाधन और अवसर मिलें, जिससे उसे जीवन में उन्नति और समृद्धि के समान अवसर प्राप्त हो सकें। इस सिद्धांत के अनुसार, न्यायपूर्ण समाज वह होगा जो लोगों को उनकी आवश्यकता के आधार पर संसाधन प्रदान करता है, न कि समान रूप से।

## समानता का सिद्धांत

समानता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इस सिद्धांत के अनुसार, सभी नागरिकों

को समान रूप से अवसर मिलते हैं, ताकि वे अपने जीवन को समान तरीके से आकार दे सकें। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, जाति, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं झेलना चाहिए। समानता का मुख्य उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज में योगदान कर सकें।

समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलें, जिससे वह किसी भी संसाधन, सेवा या अवसर के लिए समान रूप से योग्य हो, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो।

### जॉन रॉल्स का "न्याय" का सिद्धांत

प्रसिद्ध राजनीतिक अर्थशास्त्री और विचारक जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक *A Theory of Justice* (1971) में न्याय के सिद्धांत को नया दृष्टिकोण दिया। रॉल्स का मानना था कि एक न्यायपूर्ण समाज वह है जहाँ "समान मूलभूत स्वतंत्रताएँ" सभी नागरिकों को मिलती हैं, और सबसे कमजोर वर्ग को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है।

रॉल्स के सिद्धांत के अनुसार, न्याय केवल समान अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस पर निर्भर करता है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को कितना समर्थन और लाभ मिल रहा है। उन्होंने "Difference Principle" (अंतर का सिद्धांत) का परिचय दिया, जिसके अनुसार एक समाज तब तक न्यायपूर्ण माना जाएगा जब तक वह समाज अपने सबसे गरीब और कमजोर वर्ग को सर्वाधिक लाभ न दे।

रॉल्स का यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्थिति और आवश्यकता के आधार पर लाभ मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही समाज के कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार, एक न्यायपूर्ण समाज वह होगा जिसमें सभी नागरिकों को उनके अधिकार मिलते हैं, और साथ ही समाज के सबसे कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए जाते हैं।

रॉल्स का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि न्याय केवल समानता में नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की विशिष्ट जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने में है। वह समाज, जो समानता को बढ़ावा देता है, वही वास्तव में न्यायपूर्ण हो सकता है, और जहाँ हर व्यक्ति को अपनी जरूरतों के हिसाब से अवसर और संसाधन मिलते हैं।

### सर्वसमावेशक समाज की अवधारणा

समाज में समान अवसर सुनिश्चित करने वाला समाज वह होता है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार मिलते हैं, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह समाज भेदभाव, असमानता और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणों से मुक्त होता है और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति करने का समान अवसर प्राप्त होता है। समानता का यह दृष्टिकोण केवल अधिकारों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर विभिन्न जातियों, धर्मों, लिंगों और वर्गों के बीच सहयोग, सहिष्णुता, और सम्मान की भावना को भी प्रोत्साहित करता है।

समाज में समान अवसर सुनिश्चित करने का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक संरचना बनाना है, जहाँ किसी भी व्यक्ति को भेदभाव का सामना नहीं पड़े, और वह अपने जीवन को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जी सके। इसका मतलब यह भी है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समानता, पारदर्शिता और न्याय की भावना का समावेश हो, ताकि समाज में एक सशक्त और समृद्ध समुदाय का निर्माण किया जा सके।

### **सर्वसमावेशक समाज के प्रमुख तत्व**

समाज में समान अवसर की अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसे कुछ प्रमुख तत्वों में विभाजित किया जा सकता है:

#### **1. आर्थिक समावेशिता**

आर्थिक समावेशिता का मतलब है कि हर व्यक्ति को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं – जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा तक समान पहुँच मिलनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों को, विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों को, समान अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि कोई भी वर्ग या समुदाय आर्थिक रूप से उपेक्षित न हो। आर्थिक समानता एक समाज में समान अवसर की नींव है, क्योंकि यह समाज के प्रत्येक सदस्य को बराबरी के मौके प्रदान करने का आधार बनती है।

आज भी हमारे समाज में कई समुदायों, वर्गों और जातियों को बुनियादी सेवाओं जैसे रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य तक समान पहुँच नहीं मिलती। यह असमानता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक असंतोष, संघर्ष और तनाव का कारण भी बन सकती है। जब एक बड़े हिस्से को

आर्थिक संसाधनों तक समान पहुँच नहीं मिलती, तो समाज में वर्गीय अंतर और असमानता बढ़ती है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, अविश्वास और मानसिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है।

## 2. रोजगार का समान अवसर

रोजगार के अवसरों तक समान पहुँच प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार बनती है। जब समाज में एक वर्ग को रोजगार के अवसरों से बाहर रखा जाता है, तो यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को रोकता है, बल्कि यह समाज में असंतोष और असुरक्षा की भावना को भी जन्म देता है। समाज में समान अवसर का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि हर वर्ग को उचित और समान रोजगार के अवसर प्राप्त हों। चाहे वह संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुरूप रोजगार का अवसर मिलना चाहिए।

## 3. शिक्षा तक समान पहुँच

शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हालांकि, आज भी समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच नहीं है। यह असमानता न केवल आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि यह जीवन के अन्य पहलुओं में भी भेदभाव का कारण बनती है। शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है और समाज में उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकता है। इसलिए, समाज में समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा तक समान पहुँच बहुत जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति को अपने भविष्य को बेहतर बनाने का मौका मिल सके।

## 4. स्वास्थ्य सेवाओं का समान अवसर

स्वास्थ्य एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ समान अवसर की आवश्यकता है। आज भी कई समुदायों और वर्गों को उचित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों, और मूल रूप से गरीब परिवारों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे प्राथमिक उपचार, मेडिकल सुविधाएँ, और टीकाकरण तक पहुँच नहीं होती। यह असमानता समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। यदि सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य के समान अवसर मिले, तो न केवल उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि पूरे समाज का स्वास्थ्य स्तर भी सुधरेगा।

## सामाजिक समानता के प्रमुख तत्व

- जातिवाद का उन्मूलन:** जातिवाद भारतीय समाज का एक पुराना और जटिल सामाजिक मुद्दा है। इस भेदभाव ने समाज में एक अव्यक्त वर्गीय संरचना बनाई है, जिससे कमजोर और पिछड़े वर्गों को विकास के समान अवसर नहीं मिलते। सामाजिक समानता का पहला कदम है जातिवाद को समाप्त करना, ताकि हर व्यक्ति को उसकी जाति से परे, उसकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रयासों के आधार पर सम्मान और अवसर मिल सके। इससे एक समान, बिना भेदभाव के समाज का निर्माण होता है।
- लिंगभेद का उन्मूलन:** समाज में लिंग आधारित भेदभाव, विशेषकर महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव, एक और बड़ी समस्या है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले शिक्षा, रोजगार, और राजनीतिक भागीदारी में कम अवसर मिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप समाज का आधा हिस्सा अपने पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। समाज में समान अवसर के सिद्धांत के तहत महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलना चाहिए।
- धर्म और सांस्कृतिक भेदभाव का उन्मूलन:** विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोग अक्सर समाज में भेदभाव का शिकार होते हैं। भारत जैसे बहुलतावादी देश में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। समान अवसर के सिद्धांत का लक्ष्य यह है कि हर धर्म, संस्कृति और विश्वास को सम्मान मिले, और किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े।
- आर्थिक और सामाजिक समानता:** समाज में आर्थिक असमानताएँ भी समान अवसर की दिशा में एक बड़ी बाधा हैं। गरीब और पिछड़े वर्गों को अक्सर सरकारी योजनाओं, सेवाओं, और सामाजिक अवसरों तक समान पहुँच नहीं मिलती। इसके परिणामस्वरूप ये वर्ग गरीबी, बेरोजगारी, और शिक्षा की कमी से जूझते हैं, जो उन्हें समाज के मुख्यधारा से अलग करता है। समान अवसर सुनिश्चित करने का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को समान आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोजगार मिलें, ताकि कोई भी वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा न रहे।

## सामाजिक समरसता की आवश्यकता

### 1. समाज में शांति और स्थिरता:

समाज में भेदभाव और असमानता शांति और स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। जातिवाद, लिंगभेद और धर्म आधारित भेदभाव के कारण समाज में असंतोष और विरोध पैदा हो सकते हैं। समाज में समावेशन यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों को समान अवसर और सम्मान मिले, जिससे समाज में शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार की हिंसा या विभाजन की संभावना कम होती है।

### 2. समग्र विकास के लिए:

समाज के समग्र विकास के लिए समावेशन बेहद आवश्यक है। जब समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर मिलते हैं, तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान कर सकता है, जिससे पूरे समाज का विकास होता है। यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर समाज की समृद्धि को बढ़ावा देता है। समावेशी समाज में सभी समुदायों के योगदान से समाज का समग्र विकास संभव है।

### 3. लोकतंत्र की मजबूती:

समावेशन लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है। जब सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं, तो वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं, जिससे सरकार की नीतियाँ अधिक प्रभावी और प्रतिनिधिक बनती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हर वर्ग की आवाज़ सुनी जाए और उनकी जरूरतों के अनुसार निर्णय लिए जाएं।

### 4. मानवाधिकारों की सुरक्षा:

समाज में समान अवसर की स्थापना मानवाधिकारों की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। समावेशन यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को समान सम्मान और अवसर मिले, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ समाज में योगदान कर सकें।

सामाजिक समावेशन केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि समाज के लिए एक वास्तविक आवश्यकता है, जो उसे और अधिक न्यायपूर्ण, सहिष्णु और समृद्ध बनाती है। यह समाज में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देती है, और प्रत्येक नागरिक को अपना स्थान और पहचान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

## राजनीतिक समावेशन

**राजनीतिक समावेशन** का मतलब है कि समाज के सभी नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने का अवसर मिलना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, या आर्थिक स्थिति के कारण राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर न रखा जाए।

### **राजनीतिक समावेशन के तत्व:**

#### **1. समान मतदान अधिकार:**

हर नागरिक को समान रूप से मतदान का अधिकार होना चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनने का समान अधिकार प्राप्त है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया में सभी की भागीदारी समान रूप से हो।

#### **2. समान प्रतिनिधित्व:**

राजनीतिक समावेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विभिन्न समुदायों, जातियों, और लिंगों को राजनीतिक मंच पर उचित प्रतिनिधित्व मिले। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं, पिछड़े वर्गों, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए, और वे लोकतांत्रिक निर्णयों में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

#### **3. समान अवसरों का निर्माण:**

राजनीतिक समावेशन का अर्थ केवल चुनावी अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक जीवन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना भी है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक या भौतिक स्थिति के आधार पर राजनीति से बाहर न रखा जाए।

#### **4. संविधान और कानूनों की समानता:**

राजनीतिक समावेशन यह सुनिश्चित करती है कि संविधान और कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हों। यह सिद्धांत कहता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय मिलेगा, और किसी भी समूह के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

### **राजनीतिक समावेशन की आवश्यकता:**

#### **1. लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन:**

राजनीतिक समावेशन लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है और समाज के निर्णयों में प्रभाव डालने का समान अवसर मिलता है। अगर किसी एक वर्ग को राजनीतिक



प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है, तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है और समाज में असंतोष उत्पन्न करता है। लोकतंत्र में भागीदारी की समानता ही उसकी वास्तविकता और स्थिरता को बनाए रखती है।

## 2. सामाजिक न्याय और समानता:

राजनीतिक समावेशन, सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब समाज के सभी वर्गों को समान राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, तो यह सुनिश्चित होता है कि उन वर्गों की आवाज़ को सुना जाता है जो पारंपरिक रूप से हाशिए पर होते हैं। यह गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करता है और समाज में समानता को बढ़ावा देता है।

## 3. समाज में शांति और एकता:

राजनीतिक समावेशन समाज में शांति और एकता को बढ़ावा देती है। जब समाज के सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है, तो यह समाज में विश्वास और सहयोग की भावना को जन्म देता है। विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं और समस्याओं को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाता है, जिससे समाज में सामूहिक एकता बढ़ती है।

## 4. विकास और समृद्धि:

जब समाज के हर नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, तो इसका परिणाम समाज के समग्र विकास के रूप में सामने आता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वर्ग का विचार और अनुभव नीति निर्धारण में शामिल हो, जिससे विकास की योजनाएँ अधिक समावेशी और प्रभावी होती हैं।

## मुख्य चुनौतियाँ:

### 1 समान अवसरों का अभाव:

अभी भी कई वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सेवाओं तक समान पहुँच नहीं है। विशेषकर अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग, और महिलाएं इन अवसरों से वंचित हैं।

### 2 जातिवाद और धर्मवाद:

भारत में जातिवाद और धर्मवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। इन भेदभावों को समाप्त करना और सभी को समान अवसर प्रदान करना समावेशी समाज के लिए आवश्यक है।

### 3 महिला अधिकारों की रक्षा:

महिलाओं को आज भी समान अधिकार और अवसर नहीं मिलते। लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, और शिक्षा में

असमान अवसर जैसी समस्याएँ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में बाधा डालती हैं। समावेशिता की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है ताकि महिलाओं को समाज में समान अधिकार मिले, और वे अपनी पूरी क्षमता तक विकास कर सकें। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में कदम उठाने के लिए समावेशी समाज की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है।

#### 4 अल्पसंख्यक अधिकार:

समाज के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को भी समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, ताकि वे अपने जीवन की गुणवत्ता सुधार सकें। अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर सुनिश्चित करना जरूरी है। समावेशी समाज का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, और किसी भी समुदाय को हाशिए पर न रखा जाए।

#### समावेशी समाज बनाने के प्रयास:

भारत सरकार ने समावेशी समाज बनाने के लिए कई योजनाओं और कानूनों का प्रवर्तन किया है, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार मिल सकें। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं:

- आरक्षण नीति:** भारतीय संविधान ने पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC), और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। यह प्रावधान शिक्षा, सरकारी नौकरियों, और अन्य क्षेत्रों में इन वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है, ताकि वे समाज में मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
- महिला अधिकार अधिनियम:** महिला सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया है, जैसे 'द सती प्रिवेंशन एक्ट', 'धार्मिक और लैंगिक भेदभाव विरोधी कानून', और 'महिला सशक्तिकरण कानून', जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें समाज में समान स्थान देने का प्रयास करते हैं।
- मूलभूत शिक्षा का अधिकार (RTE):** "राइट टू एजुकेशन एक्ट" (2009) ने हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर दिए जा सकें। यह कानून विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए अहम है, क्योंकि इससे वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके भविष्य के अवसरों को खोलता है।
- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:** गरीब वर्ग और असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)

## निष्कर्ष:

समावेशी समाज का निर्माण केवल कानूनी और राजनीतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसका उद्देश्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्रदान करें, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण हाशिये पर न रहे। इस प्रक्रिया के माध्यम से, हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं, जिसमें हर वर्ग और समुदाय को समान अवसर और संसाधन मिलें, और सभी हिस्से समान रूप से सशक्त हो सकें।

भारत जैसे बहुलतावादी और विविधता से भरे समाज में, जहां पारंपरिक असमानताएँ गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, समावेशिता को अपनाना न केवल अनिवार्य है, बल्कि यह देश की सामाजिक स्थिरता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। समावेशी समाज का निर्माण केवल तभी संभव है जब हम जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करें और एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलें।

समावेशिता का महत्व सिर्फ सामाजिक स्थिरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और राजनीतिक समृद्धि के लिए भी जरूरी है। जब समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलते हैं, तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रगति का कारण बनता है, बल्कि राष्ट्र की समृद्धि और विकास में भी योगदान देता है। समावेशी समाज के निर्माण से सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ घटती हैं, जिससे राष्ट्र में शांति और समरसता का माहौल उत्पन्न होता है। इसके साथ ही, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों की मजबूती और राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि जब प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिलते हैं, तो वह समाज की प्रगति और विकास में सक्रिय रूप से योगदान करता है।

इस प्रकार, समावेशिता और समानता के सिद्धांतों का पालन करके हम एक ऐसे राष्ट्र की ओर बढ़ सकते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का समान अवसर मिले। यदि हम न्याय, समानता और समावेशिता की अवधारणाओं को सही तरीके से लागू करते हैं, तो हम अपने देश को एक ऐसा स्थान बना सकते हैं, जहां सामाजिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होगा और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकेगा।

अंततः, समावेशी समाज का निर्माण एक साझा जिम्मेदारी है, जो केवल सरकार और राजनीतिक नेताओं की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। समाज में समानता, न्याय और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में हर नागरिक योगदान कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, न्याय और समानता दोनों समाज के समग्र विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग होता है। न्याय का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार संसाधन मिलें, जबकि समानता का सिद्धांत यह कहता है कि सभी को समान अधिकार और अवसर मिलें। जॉन रॉल्स के "Difference Principle" के अनुसार, सबसे कमजोर वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिलना चाहिए, ताकि समाज में न्याय और समानता का वास्तविक रूप स्थापित हो सके।

इस प्रकार, एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम दोनों सिद्धांतों का संतुलन बनाए रखें – जहाँ हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन मिलें, और साथ ही सभी को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों।

## References

1. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
2. Nussbaum, M. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Belknap Press.
3. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
4. United Nations Development Programme (UNDP). (2016). *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*. UNDP. Retrieved from <https://hdr.undp.org/en/2016-report>
5. World Bank. (2021). *Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity*. The World Bank. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/04/06/inclusion-matters>
6. National Human Rights Commission. (2020). *Annual Report on Human Rights Issues in India*. NHRC, India.
7. Indian Ministry of Social Justice and Empowerment. (2020). *Reports on Social Inclusion Schemes*. Retrieved from <https://socialjustice.nic.in/>
8. The Right to Education Act, 2009. Government of India.
9. Human Rights Watch. (2020). *India: Human Rights Developments*. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/india>



10. Amnesty International. (2021). *India: Human Rights in India*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/india/>